



## षोडश बिहार विधान सभा

सप्तम् सत्र

### ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-25.08.2017 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री समीर कुमार महासेठ,  
स०वि०स०

श्री गुलाब यादव,  
स०वि०स०

श्री लाल बाबू राम,  
स०वि०स०

श्री बीरेन्द्र कुमार,  
स०वि०स०

“पटना शहर के साथ-साथ पूरे राज्य के शहरों में अधिकांश निजी नर्सिंग होम/अस्पताल एम०सी०आई० के गाईडलाईन के विपरीत चल रहे हैं। किसी छोटे से मकान को नर्सिंग होम/अस्पताल का रूप दे दिया गया है जिसमें बिचौलिये ऐम्बुलेंस चालकों की मदद से गरीबों को भर्ती कर लेते हैं। आई०सी०यू० में भर्ती करते समय ये अस्पताल आई०सी०यू० का चार्ज 3000-4000 बताते हैं लेकिन जब मरीज भर्ती हो जाता है तो 20-25 हजार प्रतिदिन का बिल बनाते हैं। परिजनों के विरोध करने पर अस्पताल संचालकों द्वारा कहा जाता है कि आई०सी०यू० का बेड चार्ज 3000-4000 है, उसके साथ ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, नर्सिंग, डॉक्टर आदि की फीस अलग है। एक बार कोई गरीब इस तरह के अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो उस मरीज को तबतक नहीं छोड़ा जाता जबतक कि उसके परिजनों की चुकाने की क्षमता शून्य पर न पहुँच जाय।

स्वास्थ्य

अतः एम०सी०आई० के गाईडलाईन के विपरीत खुले अस्पतालों को बन्द कराने तथा ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, नर्सिंग, डॉक्टर सहित सभी मर्दों को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक अस्पताल के आई०सी०यू० का अधिकतम दर निर्धारित किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. श्री जिवेश कुमार, स०वि०स०  
 श्री प्रकाश राय, स०वि०स०  
 श्री राजू तिवारी, स०वि०स०  
 श्री अवधेश सिंह, स०वि०स०  
 श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स०  
 डॉ० सी०एन० गुप्ता, स०वि०स०

“बिहार में रोजगार सृजन के क्षेत्र में दवा व्यवसाय का अग्रणी भूमिका रहा है, जबकि पिछले छह महीने से प्रदेश में थोक एवं खुदरा ड्रग लाइसेन्स निर्गत नहीं किया जा रहा है जिससे रोजगार सृजन में कमी के साथ-साथ व्यापारिक क्षति, निबन्धन राशि तथा कर राशि के रूप में राजस्व की भारी क्षति हो रही है।

अतः प्रदेश में ड्रग लाइसेन्स निर्गत करने के कार्य को अविलम्ब प्रारम्भ करने के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”


राम श्रेष्ठ राय

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-28/17-5812-5822/वि०स०, पटना, दिनांक-24 अगस्त, 2017 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / स्वास्थ्य विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
 24.8.2017  
 (प्रदीप कुमार राय)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-28/17-5812-5822/वि०स०, पटना, दिनांक-24 अगस्त, 2017 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

  
 24.8.2017  
 (प्रदीप कुमार राय)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

